

सं.40-3/2020-डीएम-।(ए)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 29 जून, 2020

आदेश

जबकि, देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए दिनांक 30.06.2020 तक की अवधि के लिए, दिनांक 30.05.2020 का समसंख्यक आदेश जारी किया गया था;

जबकि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(झ) के अंतर्गत, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से और अधिक गतिविधियां शुरू करने और कंटेनमेंट जोनों में, लॉकडाउन को 31.07.2020 तक बढ़ाने के लिए एक आदेश जारी करने का निदेश दिया है;

अतः अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(ठ) के अंतर्गत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी यह निदेश देते हैं कि **अनलॉक-2** पर संलग्न दिशानिर्देश, 31.07.2020 तक लागू रहेंगे।

हस्ताठा/-

केन्द्रीय गृह सचिव

एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी)

सेवा में:

1. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक (संलग्न सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- i. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य।
- ii. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

**चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बारे में
दिशानिर्देश (अनलॉक 2)**

**[गृह मंत्रालय के दिनांक 29, जून 2020 के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-। (ए)
के अनुसार]**

1. अनलॉक 2 के दौरान कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में अनुमति प्रदत्त गतिविधियां

कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में, निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी:

- (i) स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा को अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से कार्य शुरू करने की अनुमति होगी, जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।

- (ii) यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा, गृह मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति के अलावा।
- (iii) मैट्रो रेल।
- (iv) सिनेमा हॉल्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थियेटर्स, मदिरालय (बार) और ऑडिटोरियम्स, असैम्बली हॉल्स तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान।
- (v) सामाजिक/राजनीतिक/खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह तथा अन्य बड़े समामेलन।

उपर्युक्त गतिविधियों को शुरू करने की तारीख पर अलग से निर्णय किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने तथा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक एसओपी जारी किए जाएंगे।

घरेलु उड़ानों और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन को पहले ही अनुमति दी गई है। उनके संचालन का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

2. रात्रि कर्फ्यू

आवश्यक गतिविधियों, जिसमें एकाधिक शिफ्टों में औद्योगिक इकाइयों का प्रचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लोगों और सामानों की आवाजाही, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग तथा बसों, रेलगाड़ियों और वायुयानों से उतरने के बाद लोगों की अपने गंतव्य की यात्रा शामिल हैं, को छोड़कर, रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, पूरे देश में लोगों की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी। स्थानीय प्राधिकारी, कानून के उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत, अपने संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में आदेश अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के अंतर्गत, निषेधाज्ञा जारी करेंगे तथा इनका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

३. दकोविड-19 की रोकथाम के बारे में राष्ट्रीय निर्देश

कोविड-19 की रोकथाम के बारे में **अनुलग्नक-।** में यथाविर्णिष्ट राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा।

4. लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोनों तक सीमित रखना

- (i) कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन 31 जुलाई, 2020 तक लागू रहेगा।
- (ii) कंटेनमेंट जोनों का निर्धारण, संक्रमण की श्रृंखला को कारगर तरीके से रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा। सम्बंधित जिलधिकारियों द्वारा और राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों द्वारा वेबसाइट पर कंटेनमेंट जोनों की सूचना दी जाएगी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सूचना साझा की जाएगी।
- (iii) कंटेनमेंट जोनों में, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इन जोनों में और इन जोनों से लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए, सख्त घेराबंदी की जाएगी। यहां केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। इन कंटेनमेंट जोनों में गहन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, हर घर की निगरानी की जाएगी, और अन्य अपेक्षित चिकित्सा उपाय किए जाएंगे। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

- (iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोनों में गतिविधियों की कड़ाई से निगरानी की जाएगी, और इन जोनों में कंटेनमेंट उपायों से संबंधित दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू किया जाएगा।
- (v) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, कंटेनमेंट जोनों से बाहर, जहां नए मामलों की अधिक आशंका है, बफर जोनों का निर्धारण भी कर सकते हैं। बफर जोनों में जिला प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

5. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, स्थिति के आकलन के आधार पर, कंटेनमेंट जोनों के बाहर कुछ गतिविधियों को निषिद्ध कर सकते हैं अथवा ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं जो आवश्यक समझे जाएं।

तथापि, राज्य के भीतर और राज्यों के बीच लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के तहत, सीमापार व्यापार भी शामिल है। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट आवश्यक नहीं होगा।

6. मानक संचालन प्रक्रिया के साथ लोगों की आवाजाही

यात्री ट्रेनों और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों द्वारा आवागमन; घरेलू यात्री हवाई यात्रा; देश से बाहर फंसे भारतीय नागरिक और विदेश जाने वाले विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का आवागमन; विदेशी नागरिकों का इवैक्यूएशन; तथा इंडियन सीफेयरर्स का साइन-ऑन और साइन-ऑफ जारी की गई मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार विनियमित किया जाना जारी रहेगा।

7. कमज़ोर व्यक्तियों की सुरक्षा

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

8. आरोग्य सेतु का उपयोग

- (i) आरोग्य सेतु संक्रमण के संभावित खतरे का शुरू में ही पता लगाने में सहायता करता है और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदायों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।

- (ii) कार्यालयों और कार्य स्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, नियोक्ताओं को विशेष प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि कम्पेटिबल मोबाइल फोन रखने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु को इन्स्टॉल कर लिया गया है।
- (iii) जिला प्राधिकारी लोगों को यह सलाह दें कि वे कम्पेटिबल मोबाइल फोनों पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टाल करें और एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करें। इससे जोखिम वाले लोगों को समय पर चिकित्सा मुहैया कराने में सुविधा होगी।

9. दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू करना

- i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए गए इन दिशानिर्देशों में कोई ढील नहीं देंगी।
- ii. सभी जिला मजिस्ट्रेट इन उक्त उपायों को कड़ाई से लागू करेंगे।

10. दंडात्मक प्रावधान

इन उपायों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और यथा लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत, कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार, कार्रवाई की जाएगी। इन दंडात्मक प्रावधानों के उद्धरण **अनुलग्नक II** में दिए गए हैं।

**हस्तांतर
केन्द्रीय गृह सचिव
एवं, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति**

कोविड 19 की रोकथाम के बारे में राष्ट्रीय निर्देश

1. **फेस कवर करना:** सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य-स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेसकवर पहनना अनिवार्य है।
2. **सोशल डिस्टेंसिंग बनाना:** व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कम-से-कम 6 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी।
दुकानों में ग्राहकों के बीच दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
3. **भीड़-भाड़:** बड़े सार्वजनिक सभाओं/आयोजनों पर प्रतिबन्ध जारी रहेगा।
शादी से संबंधित आयोजन: मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।
अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार: लोगों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
4. **सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।**
5. **शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि के सेवन की सार्वजनिक स्थानों पर अनुमति नहीं है।**

कार्यस्थल के बारे में अतिरिक्त निर्देश

6. **घर से कार्य करना (डब्ल्यूएफएच):** जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।
7. **कार्य/व्यवसाय के अलग-अलग समय का पालन** कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों तथा औद्योगिक एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।
8. **स्क्रीनिंग और स्वच्छता:** सभी प्रवेश एवं निकास स्थलों तथा कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
9. **बार-बार सेनिटाइजेशन:** समस्त कार्यस्थल, जन सुविधास्थलों और दरवाजे के हैंडल आदि जैसे मानव संपर्क में आने वाली सभी चीजों का बार-बार सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा और यह हर शिफ्ट के बाद भी किया जाएगा।
10. **सोशल डिस्टेंसिंग:** कार्यस्थलों के सभी प्रभारी व्यक्ति, कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, स्टॉफ के लंच ब्रेक के अलग-अलग समय आदि द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे।

लॉकडाउन उपायों के उल्लंघन का अपराध करने पर दंड

क. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60

51. बाधा डालने, आदि के लिए दंड.- जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना,

- क. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या
- ख. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या उसकी ओर से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इंकार करेगा;

वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुमनि से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और ऐसी बाधा या निर्देश का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

52. मिथ्या दावे के लिए दंड.- जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुमनि से भी, दंडनीय होगा।

53 धन या सामग्री आदि के दुरुपयोग के लिए दंड.- जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति, या आपदा में राहत पहुँचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गयी है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुमनि से भी, दंडनीय होगा।

54. मिथ्या चेतावनी के लिए दंड.- जो कोई, किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणाम के सम्बन्ध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट-सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध.- (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहाँ विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की स्वीकृति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहाँ ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

56. अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौन सहमति.- ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

57. अध्यपेक्षा के सम्बन्ध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति.- यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

58. कम्पनियों द्वारा अपराध.- (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध को किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई लिए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की स्वीकृति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी मन जाएगा और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए –

- क. "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और
- ख. फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से अभिप्रेत उस फर्म के भागीदार से है।

59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी.- धारा 55 और 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

60. अपराधों का संज्ञान.- कोई भी अदालत इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय नहीं करेगा-

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, उस प्राधिकारी या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा, जैसा भी केस हो; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत या अधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम-से-कम तीस दिन की सूचना दे दी है।

ख. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188

188. लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा।— जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में, या अपने प्रबन्धाधीन, किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा; यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की रिस्क कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दौ सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा; और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या बलवा या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होने की संभावना है। यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है।

दृष्टांत

ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए अधिकारप्राप्त किसी लोक सेवक द्वारा यह निदेश देते हुए एक आदेश प्रख्यापित किया गया है कि एक धार्मिक जुलूस एक निश्चित सङ्क से नहीं गुजरेगा। A जानबूझकर इस आदेश की अवज्ञा करता है, और जिससे दंगे का खतरा होता है। A ने इस खंड में परिभाषित अपराध किया है।
